



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 10, 2011/फाल्गुन 19, 1932

No. 429]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2011/PHALGUNA 19, 1932

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

का.आ. 500(अ).—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 19 मई, 2010 के सं. का.आ. 1183(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त अपत्तियों/सुझावों पर विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन

सेक्टर-17, द्वारका, नई दिल्ली, जोन "के-II" में आने वाले 1.0 हेक्टेयर के माप वाले निम्न भू-क्षेत्र का उपयोग 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सरकारी सुविधाओं' से 'सरकारी कार्यालय/कोर्ट' में नीचे दिए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन "के-II" में सेक्टर-17, द्वारका	1.0 हेक्टेयर	'सरकारी एवं अर्ध- सरकारी सुविधाएं'	'सरकारी कार्यालय/कोर्ट'	उत्तर- 45 मी. चौड़ी सड़क, न्यायिक अकादमी पूर्व- 30 मीटर चौड़ी सड़क, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं दक्षिण- कर्मोण्ड टैंक पश्चिम- जनराम हॉस्पिटल, सेक्टर-17 60 मीटर चौड़ी सड़क

[फा. सं. के-13011/1/2010-डी डी आई बी]

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2011

S.O. 500(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1183(E), dated 19th May, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India :

Modification :

The land use of the following area measuring 1.0 ha. in Sector 17, Dwarka, New Delhi in Zone 'K-II' from 'Public and Semi-Public Facilities' to 'Government Office/Courts' is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Sector 17, Dwarka in Zone 'K-II'	1.0 Ha.	'Public and Semi-Public Facilities'	'Government Office/Courts'	North - 45m wide road, Judicial Academy. East - 30m wide road, Public & Semi-Public Facilities. South - Command Tank. West - General Hospital, Sector-17, 60m wide road.

[F.No. K-13011/2010-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.